न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 116/2025 निर्णय दिनांकः– 10-04-26
(जीसीएमएस संख्या 2025/212)

1. दयाराम पुत्र नौरंगलाल जाति नाई उम्र 60 वर्ष साकिन चक 2 डी छोटी, साधूवाली तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 25–07–1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 25–07–1998 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा चक 1 एम.जी.डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 98/38 तादादी 25 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पत्र के साथ अपीलांट द्वारा तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि को आवंटित करवाने के लिए कुल 5 आवेदन प्राप्त हुई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को नीलामी के जरिये आवंटन करवाने का निर्णय लिया गया तथा पत्रावली में कोई तारीख अंकित नही की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 25–07–1998 को तारीख पेशी में लेकर सीधे ही अपीलांट को बिना सूचना दिये प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस नीलामी में उपस्थित होने के जारी किया गया। बावजूद सूचना प्रार्थी उपस्थित नही आया। उक्त भूमि गणेशाराम पुत्र श्योकरण जाट को आवंटित की गई है। अतः श्री दयाराम पुत्र नोरंगलाल का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साइक्लोस्टाइल का आदेश पारित करते हुए प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया।

इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी प्रथम आदेशिका में ही प्रार्थी को सुने बिना अथवा प्रार्थी को प्रथम वरीयता के प्रार्थी की सूचना दिये बिना ही आवेदन खारिज कर दिया गया है। अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अपीलांट आज दिनांक को भी भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है एवं यदि अपीलांट को उक्त आवेदित रकबे में वरीयता सूची में भूमि आवंटित नही की गई है तो अपीलांट विशेष आवंटन के नियमों के तहत अन्यत्र भूमि पाने का अधिकारी है क्योंकि अपीलांट का पेशा खेती है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2015 स्प.पेज 443 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि की राशि भरने व उपस्थित आने का नोटिस प्रदान किये जाने के उपरांत भी अपीलांट आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं आने के कारण अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चक 1 एम.जी.डब्ल्यु.एम. के मुरब्बा नम्बर 98/38 तादादी 25 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट के विशेष आवंटन के प्रार्थना पत्र को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस नीलामी में उपस्थित होने के जारी किया गया। बावजूद सूचना प्रार्थी उपस्थित नही आया। उक्त भूमि गणेशाराम पुत्र श्योकरण जाट को आवंटित की गई है। अतः श्री दयाराम पुत्र नोरंगलाल का आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इसके विपरीत अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों से साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी चक 1 एम जी डब्लयु एम के मुरब्बा नम्बर 98/38 की 25 बीघा भूमि आवंटन करवाने हेतु कुल 5 आवेदन प्राप्त हुए। सभी आवेदको की समान वरियता होने के कारण उक्त भूमि का आवंटन निलामी के जरिये किये जाने की अभिशंषा की गई तथा पत्रावली आगामी बैठक में निलामी हेतु बाद में पेश होने का लिखा गया। तत्पश्चात दिनांक 25–07–1998 को पेशी में ली गई और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का आवेदन पत्र अपीलांट के अनुपस्थित रहने के कारण खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस की प्रति का अवलोकन किया गया जिस पर तामील संबंधी कोई रिपोर्ट नही है। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/अपीलांट को अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा अपीलांट को अपीलाधीन आदेश जारी करने से पूर्व सबूत आदि भी प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा आवंटन नियम 13 ए (5) (4) की तरफ न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया गया। जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–**Provided that the applicants to whom land could not be allotted due to the above procedure, may be allotted alternative un allotted land out of those lands which were previously notified and applications were invite for allotment of those lands, if there are no pending applications from other applicants for allotment such unallotted land.**

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट है कि यदि कोई पात्र व्यक्ति उपर्युक्त नियमों के तहत प्राथमिकता में भूमि आवंटित नहीं करा सका है तो उसे अनावंटित भूमि आवंटित की जा सकेगी।

7. अतः उक्त नियम के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो व अद्यतन परिपत्रो के आलोक में अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 10-04-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सदस्य, अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर